

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 32/2025 (Bank Case)

GCMS No. 2025/210

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस- तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। जय्य प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

1. मोहम्मद आरिफ रजवी पुत्र श्री मोहम्मद काराम - (ऋणी / बंधककर्ता)  
पता- गीजगढ की गली, ब्रजराजपुरा, कोटा (राज०)-324006  
अन्य पता- शॉप नं० पीबी-134, साई बाब फुट सब्जी मण्डी, एरोड्राम सर्किल के पास, न्यू धान मण्डी, कोटा (राज०)-324007
2. मोहम्मद कासम - (सह-ऋणी)  
पता- गीजगढ की गली, ब्रजराजपुरा, कोटा (राज०)-324006  
अन्य पता- शॉप नं० पीबी-134, साई बाब फुट सब्जी मण्डी, एरोड्राम सर्किल के पास, न्यू धान मण्डी, कोटा (राज०)-324007

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश


दिनांक: 28.01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका जिसका ब्रांच ऑफिस- तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 18.10.2007 को खाता संख्या LBKOT00001648977 में रूपये 5,75,000/- (अक्षरे: पाच लाख पिचहत्तर हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे मोहम्मद आरिफ रजवी की एक आवासीय सम्पत्ति शॉप नं० पीबी-134, साई बाब फुट सब्जी मण्डी, एरोड्राम सर्किल के पास, न्यू धान मण्डी, कोटा (राज०)-324007 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 348.50 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में- शॉप नं० 135, पश्चिम में- शॉप नं० 133, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- ऑपन, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 10.06.2021 को एन.पी. ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 6,81,575/- (अक्षरे छ लाख, इक्यासी हजार पाच सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 02.07.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभाला है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी

वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता मोहम्मद आरिफ रजवी की एक आवासीय सम्पत्ति शॉप नं० पीबी-134, साई बाब फ्रुट सब्जी मण्डी, एरोड्राम सर्किल के पास, न्यू धान मण्डी, कोटा (राज०)-324007 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 348.50 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- शॉप नं० 135, पश्चिम में- शॉप नं० 133, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- ऑपन, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे। आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सुनाया गया।

  
(पूजा शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)

